संख्या–3119 / 77–4–19–1168 / 19

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यीडा / गीडा / सीडा / लीडा / यूपीसीडा

औद्योगिक विकास अनुभाग– 4 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2019

विषय:– **उ0प्र0 इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (यूपी ई.सी.बी.सी. कोड) 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथा संशोधित, 2011 एवं 2016) में संशोधन को अंगीकार करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1168 / 77–4–19, दिनांक 10.04.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपीनेडा) के पत्र दिनांक 07.03.2019 के साथ संलग्न आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–55 / 8–3–19– 160विविध / 2018, दिनांक 28.01.2019 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में उ0प्र0 इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (यूपी ई.सी.बी.सी. कोड) 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथा संशोधित, 2011 एवं 2016) में संशोधन को अंगीकार करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए थे।

2. इस सम्बन्ध में निदेशक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपीनेडा) के पत्र संख्या–2801 / यूपीनेडा–ईसीबीसी–बिल्डिंग बाईलाज / 2019–20, दिनांक 07.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही से सीधे अपने स्तर से उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपीनेडा) को अवगत कराने का कष्ट करें।

930

8802 (Asset)

24/10/19

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या– 3119 (1) / 77–4–19तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि, निदेशक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपीनेडा) को उनके पत्र संख्या–2801 / यूपीनेडा–ईसीबीसी–बिल्डिंग बाईलाज / 2019–20, दिनांक 07.03.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

ASHOK KUMAR SRIVASTAVA
प्रभारी यूपीएसडीए / Incharge
उत्तर प्रदेश राज्य अभिहित संस्था
Uttar Pradesh State Designated Agency

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

30.10.19